

भारत सरकार  
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

विज्ञापन सं/डीएसटी .05/2020।।।- स्था -

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में सहायक प्रबंधक भंडारपाल के-सह-'01' (एक पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर ( पर निम्नलिखित ब्योरे के अनुसार भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

1. पद का नाम : सहायक प्रबंधक-सह-भंडारपाल
- (i) कुल रिक्त पद : एक(01)
- (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर : स्तर 4 (रु.25500-81100 )
- (iii) भर्ती की पद्धति : प्रतिनियुक्ति
- (iv) प्रतिनियुक्ति की अवधि : अधिकतम पांच वर्ष
- (v) पात्रता

(क)केंद्र सरकार के अधिकारी :-

- (i) जो नियमित आधार पर अनुरूप पद पर सेवारत हों; अथवा
- (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 2 रु).19900-63200 में नियमित आधार पर (उस पद पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में न्यूनतम आठ वर्ष की सेवा प्रदान की हो; और निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता (ख)और अनुभव रखते हों:

शैक्षणिक योग्यता:

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.कॉम; या
- (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय बही-खाता या भंडार का रखरखाव डिप्लोमा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से।

अनुभव:

भंडार या बही खातों को संभालने में सरकारी विभाग या सरकारी उपक्रम में तीन साल।

नोट 1: योग्यता दूसरी दृष्टि से सुअर्ह अभ्यर्थी के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक से लिखित रूप से दर्ज कारणों के आधार पर शिथिलनीय है।

नोट 2: उन्हें कैंटीन में इयूटी करने के लिए 250/- रुपये प्रति माह का विशेष भत्ता भी मिलेगा।

नोट 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोट 4: फीडर श्रेणी में विभागीय अभ्यर्थी जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

आयु सीमा: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि क-ो छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

## 2. सामान्य

1. विभाग बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नियुक्ति को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

5/2